

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/एसटी/9-10/2018-19

दिनांक - 24-10-18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा

विषय : अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 9-10) के लिए बजट आवंटन।

प्रसंग : भारत सरकार का पत्रांक 20015/06/2013-Edu दिनांक 13.08.2018 व राज्य सरकार पं.  
19(2)शिक्षा-6/2013 दिनांक 26.09.2018


उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9-10 के वर्ष 2017-18 के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2018-19 का केन्द्रांश एवं राज्य निधि का आवंटन निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक को लेखामद **2202-02-107-06-02 13** उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

S.No.	DEOs(H.Q)	Office Id	CA (केन्द्रांश)	SF (राज्य निधि)
1	GANGANAGAR	2735	110250	0
2	HANUMANGARH	3282	83250	0
3	BIKANER	3735	69750	0
4	CHURU	4492	247500	0
5	JHUNJHUNU	5349	1370250	0
6	ALWAR	6452	5630006	1092313
7	BHARATPUR	7236	1037250	0
8	DHOLPUR	7576	2709000	0
9	KARALI	8055	5422145	1404144
10	SAWAI MADHOPUR	8468	4719645	1926034
11	DAUSA	8914	10033970	3243316
12	JAIPUR	10196	8921308	3724990
13	SIKAR	11216	1991250	0
14	NAGPUR	12261	173250	0
15	JODHPUR	13122	906750	0
16	JALSALMER	13291	362250	0
17	BARMER	13976	1863000	0
18	JALORE	14459	2722500	0
19	SIROHI	14800	3505832	831067
20	PALI	15571	1875186	823094
21	AJMER	16289	1354500	0
22	TONK	16781	3222386	1414434
23	BUNDI	17137	3543624	1525545
24	BHILWARA	17971	3645683	969773
25	RAJSAMAND	18401	2688750	0
26	UDAIPUR	20688	25227760	10012761
27	DUNGARPUR	20897	26853959	11740023
28	BANSWARA	21127	26133674	11344790
29	CHITTORGARH	21402	2284237	896572
30	KOTA	21597	1608414	631748
31	BARAN	21800	2983403	991322

32	JHALAWAR	22087	4216113	683841
33	PRATAPGARH	22191	11620155	3948233
34	SANSKRIT EDUCATION	958	2475000	0
	<b>TOTAL</b>		<b>171612000</b>	<b>57204000</b>

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-


1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यार्थियों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में भामाशाह डाटा पोर्टल के माध्यम से जमा करवाई जावे।
4. वर्ष 2017-18 के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे तथा आंशिक भुगतान नहीं किया जाये।
5. उक्त आवंटित राशि का उपयोग दिनांक 30.10.18 तक कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/एसटी/9-10/2018-19  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक 24-10-18

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, -----
4. उपनिदेशक, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर